

अपीलीय आपराधिक

माननीय न्यायमूर्ति गुरनाम सिंह के समक्ष,

तारा सिंह, - अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, - उत्तरदाता।

1973 की आपराधिक अपील संख्या 139

4 दिसंबर, 1975।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1947 का 11) - धारा 5 (1) (डी) - शिकायत किए गए कृत्यों की सामग्री - क्या अभियुक्त द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया जाना आवश्यक है।

अभिनिर्धृत किया गया कि कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5 (1) (डी) के तहत अपराध के तत्व हैं:

- (1) कि अभियुक्त एक लोक सेवक होना चाहिए,
- (2) कि उसे किसी भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग करना चाहिए या लोक सेवक के रूप में अपने पद का अन्य बुद्धिमान दुरुपयोग करना चाहिए,
- (3) कि उसे मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिए था, और
- (4) स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए।

अधिनियम की धारा 5 (1) (डी) के तहत अपराध को घटाने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि शिकायत किए गए कार्य अभियुक्त द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए थे। अधिनियम की धारा 5 (1) में होने वाले "कर्तव्य के निर्वहन में" शब्द इसकी धारा 5 (1) (डी) के तहत अपराध का एक अनिवार्य घटक नहीं है।

(पैरा 11)

श्री सालिग राम सेठ, विशेष न्यायाधीश, हिसार के दिनांक 6 फरवरी, 1973 के आदेश के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए अपील।

आरोप:- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(घ) के साथ धारा 5(2) पढ़ें।

सजा:- दो साल के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी और 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अपीलकर्ता की ओर से राज्य के वकील वी. एम. जैन ने कहा। डी.एस. बाली, अधिवक्ता।

### निर्णय

गुरनाम सिंह, न्यायमूर्ति - (1) हिसार जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत तारा सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(डी) के साथ धारा 5(2) के तहत दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। या, डिफॉल्ट रूप से, हिसार के विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा तीन महीने के लिए कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। तारा सिंह ने यह अपील दायर की है।

(2) सारगर्भित रूप से मामले के तथ्य यह हैं कि तारा सिंह अपीलकर्ता, जो जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, हिसार के कार्यालय में उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत था, सरकार के लिए हिसार मंडी से गेहूं खरीदता था। 16 मई, 1972 को गांव खरार अलीपुर का जय सिंह हिसार मंडी में सहकारी समिति की दुकान पर बिक्री के लिए 80 क्विंटल गेहूं लाया था। उस दिन भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं खरीदा जाना था। जय सिंह का गेहूं पहली गुणवत्ता का नहीं होने के कारण भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने इसे खरीदने से इनकार कर दिया। अगले दिन अर्थात् 17 मई, 1972 को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं की खरीद के लिए नियत किया गया था। तारा सिंह अपीलकर्ता सुबह लगभग 10 बजे मंडी में आया और जय सिंह को गेहूं से विदेशी पदार्थ हटाने के लिए कहा। जय सिंह ने गेहूं की सफाई करवाई लेकिन तब भी तारा सिंह अपीलकर्ता ने इसे खारिज कर दिया। तारा सिंह ने फिर से उसे गेहूं साफ करने के लिए कहा और उसने दो या तीन बार ऐसा किया लेकिन तब भी अपीलकर्ता द्वारा इसे नहीं खरीदा गया था। आखिरकार तारा सिंह अपीलकर्ता ने जय सिंह से कहा कि अगर वह रिश्वत के रूप में 1.50 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करेगा तो उसका गेहूं खरीदा जा सकता है। यह कहकर तारा सिंह अपीलकर्ता चला गया। कुछ समय बाद दलीप सिंह, पुत्र जय सिंह मंडी में आया और उसे पता चला कि अपीलकर्ता रिश्वत मांग रहा है। दलीप सिंह ने भी अपीलकर्ता से संपर्क किया और बाद में उसने अपनी मांग दोहराई। दलीप सिंह ने अपीलकर्ता से कहा कि वह उसे तुरंत 100 रुपये देगा और शेष राशि का भुगतान बाद में किया जाएगा और यह कहते हुए वह पहले अपने पिता के पास गया और फिर मंडी से चला गया। इसी बीच अपीलकर्ता सहकारी समिति की दुकान पर आया और मोहर सिंह, लेबर कांट्रैक्टर को जय सिंह के गेहूं को तौलकर बोरियों में भरने का निर्देश दिया।

(3) दलीप सिंह पुलिस लाइन चौक की ओर गया और वहां बक्शी अमोलक राम, पुलिस उपाधीक्षक, उप-निरीक्षकतिलक राज और कुछ कांस्टेबलों को खड़ा पाया। उन्होंने बक्शी अमोलक राम को बताया कि तारा सिंह अपीलकर्ता उनके गेहूं की खरीद के लिए रिश्वत के रूप में 1.50 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहा था। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक को एक लिखित शिकायत भी सौंपी, जिसका पुलिस उपाधीक्षक ने समर्थन किया और मामला दर्ज करने के लिए हिसार के पुलिस स्टेशन सिटी को भेज दिया। औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्शनी पी डब्ल्यू 4/2, उप-निरीक्षक जोगिंदर सिंह द्वारा तैयार की गई थी।

(4) बक्शी अमोलक राम, पुलिस उपाधीक्षक मांगे राम और छाजू राम के साथ शामिल हुए। दलीप सिंह ने पुलिस उपाधीक्षक को 100 रुपये का एक नोट सौंपा। पुलिस उपाधीक्षक ने नोट की शुरुआत की और दलीप सिंह की व्यक्तिगत तलाशी लेने के बाद उसे उसे सौंप दिया और मेमो प्रदर्शनी पी डब्ल्यू 3/2 तैयार किया, जिसे मांगे राम और छाजू राम, पी डब्ल्यू द्वारा सत्यापित किया गया था। पुलिस उपाधीक्षक ने दलीप सिंह को चिह्नित करेंसी नोट आरोपी को सौंपने और पैसे पास होने के बाद उसके सिर पर हाथ रखकर संकेत देने के निर्देश दिए। मांगे राम को निर्देश दिया गया कि वह आरोपी और दलीप सिंह के बीच क्या हुआ, उसे देखने और सुनने के लिए छाया गवाह के रूप में कार्य करे और फिर पुलिस पार्टी को संकेत दे।

इसके बाद वे सभी एक जीप में सवार हुए और लोना मंडी और अनाज मंडी को जोड़ने वाली एक गली में चले गए। दलीप सिंह मांगे राम के साथ घटनास्थल की ओर बढ़े, जबकि पार्टी के अन्य सदस्य पीछे रह गए। आरोपी जय सिंह के गेहूं के पास मौजूद था जिसे उस समय बोरियों में भरा जा रहा था। दलीप सिंह ने आरोपी से मुलाकात की और मांगने पर उसे नोट सौंप दिया। आरोपी ने उस नोट को अपनी पैंट के दाहिने हाथ की जेब में रख दिया। दलीप सिंह ने एक सिग्नल दिया और उसी को देखते ही छाया गवाह ने पुलिस पार्टी को सिग्नल दे दिया। पुलिस उपाधीक्षक और पार्टी सहकारी समिति की दुकान पर आए। मांगे राम भी उनके साथ थे। पुलिस उपाधीक्षक ने आरोपी को अपनी पहचान बताई और उससे कहा कि वह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एक मामले के संबंध में अपने व्यक्ति की तलाशी लेना चाहता है। अपनी तलाशी देने के बाद, पुलिस उपाधीक्षक ने आरोपी के दाहिने हाथ की जेब की तलाशी ली और मुद्रा नोट बरामद किया। बरामद किए गए मुद्रा नोट की संख्या मेमो प्रदर्शनी पी डब्ल्यू 3/2 में उल्लिखित मुद्रा नोट की संख्या के साथ मेल खाती है। मुद्रा नोट को कब्जे में ले लिया गया था, ज्ञापन प्रदर्शनी पी डब्ल्यू 3/3 के माध्यम से दलीप सिंह के व्यक्ति की भी तलाशी ली गई और मेमो एक्जिबिट पी डब्ल्यू 3/4 तैयार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निजी तलाशी से 480 रुपये मूल्य के नोट और कुछ कागजात बरामद किए गए और उन्हें कब्जे में ले लिया गया। पुलिस उपाधीक्षक ने गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद आरोपी और केस प्रॉपर्टी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आरोपी के अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदर्शनी पी डब्ल्यू 6/3 निदेशक, खाद्य और आपूर्ति, हरियाणा से प्राप्त की गई थी। मामले की आवश्यक जांच के बाद, आरोपी का चालान किया गया।

(5) अभियुक्त के कब्जे से बरामद हस्ताक्षरित मुद्रा नोट खो गया था और अभियोजन पक्ष को चिह्नित मुद्रा नोट के बारे में तथ्य को साबित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी गई थी।

(6) दलीप सिंह, मांगे राम, छाजू राम, श्री अमोलक राम, पुलिस उपाधीक्षक और उप-निरीक्षक तिलक राज, पीडब्ल्यू ने मामले के तथ्यों को प्रस्तुत किया है।

(7) जय सिंह (पीडब्ल्यू 5), ने कहा कि वह अपना गेहूं बेचने के लिए लाया था और आरोपी ने उससे 1.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रिश्वत मांगी थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने बेटे दलीप सिंह से इस बारे में बात की, जिसने आरोपी के साथ बात की थी और उसके बाद आरोपी उसके पास आया और गेहूं की तौल का निर्देश दिया।

(8) अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया कि वह जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक, हिसार के कार्यालय में उप-निरीक्षक के रूप में काम कर रहा था, लेकिन दलील दी कि गेहूं खरीदना उसका कर्तव्य नहीं था। उन्होंने दलीप सिंह से कोई पैसा लेने की बात से भी इनकार किया। उन्होंने अपने बचाव में दर्शन कुमार से पूछताछ की।

(9) दर्शन कुमार (डीडब्ल्यू 1) ने कहा कि गेहूं की स्वीकृति और अस्वीकृति अकेले निरीक्षक द्वारा की जा सकती है और आरोपी का कर्तव्य खरीदे गए गेहूं को संग्रहीत करना, प्रविष्टियों को प्राप्त करना और खरीदे गए गेहूं को लोड करना था।

(10) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि चूंकि गेहूं खरीदना आरोपी का कर्तव्य नहीं था, इसलिए वह जय सिंह या दलीप सिंह, पीडब्ल्यू से अवैध रिश्वत मांगने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि मुद्रा नोट, जिसकी संख्या मेमो एक्जिबिट पीडब्ल्यू 3/2 में दर्ज की गई थी, कभी मौजूद थी या आरोपी ने उसी मुद्रा नोट को अवैध रिश्वत के रूप में स्वीकार किया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बारे में उन्होंने आग्रह किया कि वे इच्छुक गवाह हैं।

(11) यह एक ऐसा मामला है जिसमें आरोपी को उक्त अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत दंडनीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) (डी) के तहत आरोप-पत्र दिया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) (डी) के तहत अपराध को घर लाने के लिए, यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि शिकायत किए गए कार्य अभियुक्त द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए थे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) में होने वाले शब्द, "कर्तव्य के निर्वहन में" उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) (डी) के तहत अपराध का एक अनिवार्य घटक नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 5(1)(घ) के अंतर्गत अपराध के अवयव निम्नलिखित हैं -

(1) कि अभियुक्त एक लोक सेवक होना चाहिए,

(2) कि उसे किसी भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग करना चाहिए या लोक सेवक के रूप में अपने पद का अन्य बुद्धिमान दुरुपयोग करना चाहिए,

(3) कि उसे मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिए था और

(4) स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए।

इस प्रकार अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलील कि आरोपी को गेहूं की खरीद का काम नहीं सौंपा गया था और इसलिए, वह किसी भी पैसे की मांग नहीं कर सकता था क्योंकि रिश्वत से आरोपी को कोई मदद नहीं मिलेगी यदि यह साबित हो जाता है कि उसने भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग करके और अपने पद का दुरुपयोग करके दलीप सिंह से अपने लिए धन प्राप्त किया। यह विवादित नहीं है कि घटना के समय आरोपी एक लोक सेवक था।

(12) जय सिंह, पीडब्ल्यू के साक्ष्य में यह है कि वह 16 मई, 1972 को अपना गेहूं लाया था, और उस दिन भारतीय खाद्य निगम गेहूं खरीद रहा था, लेकिन उसके कर्मचारियों द्वारा उसका गेहूं फेंक दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 17 मई, 1972 को खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं की खरीद के लिए तय किया गया था, कि तारा सिंह आरोपी ने उन्हें गेहूं से विदेशी पदार्थ हटाने के लिए कहा था, कि उन्होंने दो या तीन बार ऐसा किया लेकिन आरोपी गेहूं खरीदने के लिए तैयार नहीं था और उसने (अपीलकर्ता) रिश्वत के रूप में 1.50 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की। दलीप सिंह, पीडब्ल्यू, जय सिंह के बेटे हैं। वह अनाज मंडी में आया और पाया कि उसका गेहूं नहीं खरीदा गया था और उसने आरोपी से संपर्क किया और आरोपी ने उससे भी रिश्वत मांगी। दलीप सिंह यह कहते हुए वहां से चला गया, "तारा सिंह ने आरोप लगाया कि वह फिलहाल 100 रुपये देगा और बाकी बाद में देगा और पुलिस उपाधीक्षक से संपर्क किया। पुलिस उपाधीक्षक मांगे राम और छाजू राम को अपने साथ ले गए। पुलिस उपाधीक्षक के साथ उप निरीक्षक तिलक राज भी थे। दलीप सिंह ने वह नोट पेश किया जिस पर पुलिस उपाधीक्षक के हस्ताक्षर थे। पुलिस उपाधीक्षक के निर्देशानुसार दलीप सिंह ने वह नोट आरोपी को सौंप दिया जो बाद में उसके कब्जे से बरामद किया गया। पुलिस की हिरासत में रहते हुए हस्ताक्षरित मुद्रा नोट खो गया था और अभियोजन पक्ष को उस संबंध में द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी गई थी। पुलिस उपाधीक्षक बख्शी अमोलक राम के साक्ष्य में कहा गया है कि मेमो एक्जिबिट पीडब्ल्यू 3/2 में हस्ताक्षरित नोट की संख्या का उल्लेख किया गया था और आरोपी के कब्जे से इसे बरामद किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मामले की संपत्ति को मालखाने में जमा करने के लिए सब-इंस्पेक्टर तिलक राज को सौंप दिया / पीडब्ल्यू 16 के रूप में जांच किए गए सब-इंस्पेक्टर तिलक राज ने कहा कि मामले की संपत्ति उन्हें सौंप दी गई थी और वह आरोपी के साथ उसे पुलिस स्टेशन ले गए और वहां केस की संपत्ति जमा की। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने दैनिक डायरी में एक रिपोर्ट दर्ज की और वहां मुद्रा नोट की संख्या का उल्लेख किया। इस प्रकार श्री अमोलक राम, पुलिस उपाधीक्षक और श्री तिलक राज दोनों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि

दलीप सिंह द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष पेश किया गया 100 रुपये का मुद्रा नोट श्री तिलक राज को सौंप दिया गया था। आरोपी से इसकी बरामदगी के बाद थाने के *मालखाने* में जमा करा दिया गया। इस भारी सबूत की उपस्थिति में ऐसे किसी भी मुद्रा नोट के अस्तित्व को दिखाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कोई सबूत पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(13) दलीप सिंह और मांगे राम सहकारी समिति की दुकान पर गए। दलीप सिंह तारा सिंह को देखते ही आरोपी ने उससे पूछताछ की जैसे वह पैसे लेकर आया हो तो दलीप सिंह ने साइन किए हुए करेंसी नोट उसे थमा दिए और उसके सिर पर हाथ रखकर इशारा किया। उस सिग्नल को देखते ही मांगे राम ने पुलिस पार्टी को सूचना दी। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस दल वहां पहुंचा और आरोपी के कब्जे से नोट बरामद किया। मांगे राम, छाजू राम, श्री अमोलक राम और श्री तिलक राज, पीडब्ल्यू ने आरोपी के कब्जे से हस्ताक्षरित मुद्रा नोट की बरामदगी के तथ्य की पुष्टि की है। उन्हें आरोपियों को झूठा फंसाने की कोई हिम्मत नहीं थी। इस प्रकार यह स्थापित होता है कि तारा सिंह आरोपी ने दलीप सिंह से अवैध रिश्वत के रूप में 100 रुपये की राशि स्वीकार की थी और इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत दंडनीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) (डी) के तहत अपराध किया था। इसलिए, उपर्युक्त धाराओं के तहत उनकी दोषसिद्धि को बनाए रखा जाता है, लेकिन उनके द्वारा ली गई रिश्वत की राशि को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में न्याय का उद्देश्य पूरा होगा यदि उनकी सजा को दो साल के कठोर कारावास से घटाकर एक वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया जाता है। इसलिए, अपीलकर्ता की सजा को दो साल के कठोर कारावास से घटाकर एक साल के कठोर कारावास में बदल दिया जाता है, जबकि जुर्माना और इसके चूक में दिए गए कारावास की सजा को बनाए रखा जाता है। अपीलकर्ता को उसकी सजा की शेष अवधि से गुजरने के लिए हिरासत में लिया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वीरेंद्र कुमार  
प्रीक्षिषु न्यायिक अधिकारी  
चंडीगढ़

